ऑफिस ऑफ स्पेशल काउंसेल फॉर इमिग्रेशन रिलेटेड अनफेयर एम्प्लॉयमेंट प्रेक्टिसज़
(आप्रवासियों के रोजगार से संबंधित अयोग्य गतिविधियों के लिए खास वकील का कार्यालय)
यू.एस.डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सिविल राइट्स डिविज़न (अमरिकी न्याय विभाग मानव अधिकार प्रभाग)

अपने अधिकारों को जानें!

आपको E-Verify के बारे में जो जानना आवश्यक है

E-Verify यू.एस. सरकार द्वारा चलाया जाने वाला एक इंटरनेट-आधारित प्रोग्राम है। नियोक्ता E-Verify का उपयोग यह जाँचने के लिए करते हैं, कि क्या कर्मचारी कानूनन काम कर सकते हैं। जब आप किसी ऐसे नियोक्ता के पास नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, जो कि E-Verify का उपयोग करता है, तो नियोक्ता को आपको यह जानकारी देनी चाहिए कि वह E-Verify इस्तेमाल करता है। यदि आपका नियोक्ता E-Verify का उपयोग करता है, तो आपके कुछ अधिकार हैं।

E-Verify कैसे काम करता है

- E-Verify आपके I-9 फॉमर् की जानकारी की सरकार के आप्रवासन, सोशल सिक्योरिटी और अन्य रिकॉर्डों से तुलना करता है।
- यदि जानकारी मेल खाती है, तो E-Verify इस बात की पुष्टि करेगा कि आप कानूनन काम कर सकते हैं।
- यदि जानकारी मेल नहीं खाती, तो आपके नियोक्ता को आपको बताना होगा कि कोई समस्या और उसका समाधान कैसे किया जाए उसके निर्देश लिखित रूप से प्रदान करने होंगे और आपको बताना होगा कि आपके द्वारा सरकार से संपर्क करने की अंतिम तिथि क्या है।
- यदि आपने अपने I-9 में अपना ई-मेल पता शामिल किया होगा, तो E-Verify आपको समस्या के बारे में सीधे ई-मेल भेजेगा।

नियोक्ता यह नहीं कर सकते:

- जब तक आपको नौकरी पर रख लिया जाए और आप अपना I-9 फॉर्म भर दें, तब तक E-Verify पर आपकी जानकारी की जाँच।
- पुनःसत्यापन के लिए E-Verify का उपयोग।
- आपके अपने I-9 फॉर्म भर देने के बाद आपको केवल इस कारण से अपना काम करने से रोकना, कि आपको अब तक अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर प्राप्त नहीं हुआ है।

E-Verify के साथ समस्या का समाधान करने के दौरान आपके अधिकार हैं

जब आप अपने E-Verify केस से किसी समस्या का समाधान कर रहे हों, आपका नियोक्ता यह नहीं कर सकता:

- आपको नौकरी से निकाल देना
- आपको निलंबित (सस्पेन्ड) करना
- आपको कार्य अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए इंतज़ार करवाना
- आपको काम छोड़नेके लिए प्रेरित करने का प्रयास करना
- आपके काम के घंटे कम करना
- आपने जो काम किया है उसके लिए आपको भुगतान करने से इन्कार करना

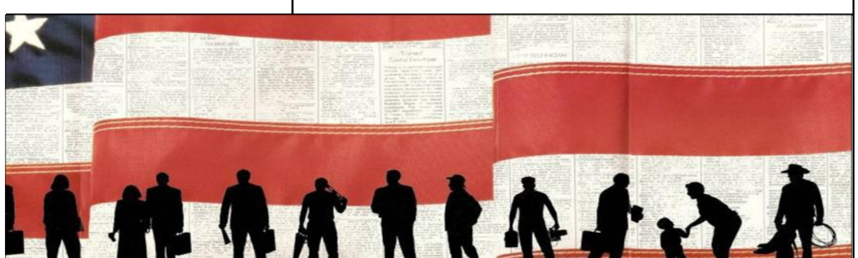

यदि आपको काम करने का अधिकार प्राप्त है, तो किसी को उसे छीनने न दें

अपने E-Verify केस के लिए सहायता के लिए E-Verify को फोन करें

1-888-897-7781
(भाषा दुभाषिया सेवा उपलब्ध)
www.dhs.gov/everify

OSC को फोन करें यदि:

- आपका नियोक्ता E-Verify का उपयोग केवल आप्रवासियों के लिए, किसी खास देश के लोगों के लिए अथवा केवल उन लोगों के लिए करता है, जो कि "विदेशी" दिखते
- जब आप कोई E-Verify समस्या को ठीक कर रहे हों, तब आपका नियोक्ता आपको काम नहीं करने देता अथवा आपके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई करता है
- I-9 फॉर्म और E-Verify के साथ अपनी पसंद के दस्तावेज के बदले आपको कोई खास दस्तावेज दिखाने को कहा जाता है

कर्मचारी हॉटलाइन: 1-800-255-7688 अथवा 1-800-237-2515 (TDD)
(भाषा दुभाषिया सेवा उपलब्ध)
www.justice.gov/crt/about/osc